न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2020 (राजस्व विविध)
पंजीयन दिनांक 04.06.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00018

सीताराम पिता माधवलाल जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–गोवर्धनलाल पिता मथुरालाल जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी रतना का खेड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–नन्दराम उर्फ नन्दा पिता बेणीराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा. दी. प्रकरण संख्या 15/2016 निगरानी पंचायत निर्णय दिनांक 26.03.2020

उपस्थितिः	1–	श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
	2–	श्री ललित झंवर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 05.07.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होकर पुनरावलोकन किये जाने योग्य है। अतः पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 निगरानी पंचायत में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2020 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पुनरावलोकन आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित झंवर ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 व 3 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी ने न्यायालय में जवाब निगरानी प्रस्तुत किया व जवाब निगरानी में यह तथ्य अंकित किये कि प्रार्थी निगराकार ने विपक्षी सं 2 से जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 29.05.2015 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है ऐसी स्थिति में पंजीकृत बहनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर राजस्व न्यायालय को पट्टा निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। श्रीमान के न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विवादित भूखण्ड पर अपना कब्जा होना बताते हुए विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी, विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध सक्षम सिविल न्यायालय में वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी की ओर से आदेश 07 नियम 11 जा. दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको सक्षम सिविल न्यायालय ने स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया। पट्टा जारी करने

के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना राशमी में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जिसकी अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच की जाकर प्रथम दृष्ट्या अपराध नहीं मानते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई जिसके विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 ने सक्षम सिविल न्यायालय में निगरानी फौजदारी प्रस्तुत की जो अस्वीकार की जाकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये गये नतीजे को सही जोना माना फिर भी न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया जाना मानते हुए निर्णय व आदेश पारित कर पट्टा निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया है जो पुनरावलोकन योग्य है। अतः पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार फरमाकर प्रकरण संख्या 15/2016 निगरानी पंचायत निर्णय दिनांक 26.03.2020 को निरस्त किया जाकर पुनरावलोकन आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि न्यायालय आप द्वारा पट्टा सही तथ्यों के आधार पर निरस्त किया गया है प्रार्थी द्वारा क्रय कर लेने से पट्टे के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि जारीशुदा पट्टा नियमों के विपरीत है तो उसे निरस्त करने का अधिकार न्यायालय आपको है व न्यायालय आपने पट्टे को नियमानुसार नहीं मानकर निरस्त किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। निगरानी के पेरा संख्या 3 में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्रार्थी रामेश्वर लाल को शुरू से ही थी व इन तथ्यों को प्रार्थी ने न्यायालय आपमें वक्त सुनवाई निगरानी में नहीं उठाये थे जिससे अब नये तथ्यों को रिव्यू आवेदन में न तो उठाया जा सकता है एवं न ही नये सिरे से निस्तारित ही किया जा सकता है। न्यायालय आप द्वारा जहां-जहां तारीख अंकित नहीं है व जहां जहां तारीख में काट-फांस है उन सब का अवलोकन किया गया व इसके पश्चात् समग्र रूप से पत्रावली का विवेचन कर आदेश पारित हुआ है जो पर्नविलोकन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का रिव्यू आवेदन मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमावें।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। यह निर्विवाद तथ्य है कि पुनरावलोकन (रिव्यू) का दायरा सीमित (लिमिटेड़ स्कॉप) है। निर्णय या आदेश में ऐसी भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो अर्थात् निर्णय में कोई रेकार्ड के मुकाबले टंकण में कोई लिपिकीय त्रुटि होने की स्थिति में रिव्यू किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। हस्तगत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं उस संबंध में हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकार के आधार अपील के तो आधार हो सकते हैं किन्तु नजरसानी/ पुनरावलोकन स्वीकार करने के आधार नहीं हो सकते हैं। पुनरावलोकन की आड़ में यह न्यायालय इस सम्पूर्ण प्रकरण के गुणावगुण पर नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय करने के पक्ष में नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 (8) एससीसी पेज 715 आरआरटी 2005 (1) पेज 545 एवं एआईआर 1995 एससी पेज 545 में यह सुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी के केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के प्रावधान दिये गये हैं। नजरसानी का दायरा सीमित होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर बी जे (12) पृष्ठ 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Scope of Review is very limited. It has been Clearly held in Catena of Cases that a judgement order mat be open to review under section 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re heard and corrected. There is clearly distinction between an erroneous decision and an error apparent on the face of the record. While the former can be corrected by higher forum, the lateer can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, alimited purpose and can not be allowed to be an appeal in disquise. इसी प्रकार 2005 (1) आर आर टी पेज 545 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि निर्णय

में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी/पुनरावलोकन के लिए आधार नहीं हो सकता है।

हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत सम्पूर्ण साक्ष्य एवं बहस पर आये तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 26.03.2020 को निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी रेकार्ड पर परिलक्षित होने वाली ऐसी कोई त्रुटि नहीं बता पाये हैं जिससे उक्त पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)